न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 236 / 2024

अनवान : –

1. सुमन देवी धारूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड स0 6 नोहर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. रूपराम पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 21/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 254 / 255 के ख.न. 105 की 5.9180 हैक्टर भूमि ख.न. 117 की 7.2720 हैक्टर भूमि ख.न. 782 / 3 की 2.2890 हैक्टर ख.न. 783 / 3 की 0.2910 हैक्टर कुल तादादी 15.7700 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त रूप से गैरसायल सं. 1 अकेला 1 / 7 हिस्से का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 254 / 255 की कुल तादादी 15. 7700 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 1 / 7 हिस्सा भूमि में से दिनांक 15 / 3 / 2024 को 1.518 हैक्टर भूमि सायला को बैय कर दी तथा सायला ने उपरोक्त कृषि भूमि का समस्त प्रतिफल गैरसायल सं. 1 को अदा कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा मौके पर गैरसायल सं. 1 से ले लिया। सायला द्वारा गैरसायल सं. 1 से बैयनामा दिनांक 15 / 3 / 2024 को करवाया गया था एवं उस समय गैरसायल सं. 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का रहन मुक्त थी एंव गैरसायल सं. 1 द्वारा वैयनामा करवाने के तुरन्त वाद भूमि पर के.सी.सी. बनवा ली जिसके कारण वादग्रस्त कृषि भूमि सायला के नाम दर्ज नहीं हो सकी इसलिए सायला अपनी खरीद शुदा कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवापाने की अधिकारिणी है। इसलिए रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 254 / 255 की कुल तादादी 15.7700 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 1 / 7 हिससे में सायला अकेली 1.5180 हैक्टर भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है एवं शेष भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज रहेगी इसी अनुसार सायला माननीय न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। गैरसायल सं. 1 के नाम वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज है तथा गैरसायल सं. 1 [illegible] में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 से साजबाज कर वादग्रस्त कृषि भूमि पर भारी [illegible] है तथा गैरसायल सं. 1 को अच्छी तरह से ज्ञान था कि उसने वादग्रस्त भूमि में से अपना हिस्सा सायल को [illegible] कर चुका परन्तु दावा में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 ने जान बुझकर गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पर व भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भरकम केसीसी बनवा ली चुंकि वादग्रस्त कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज होने के कारण वाद भूमि गैरसायल सं. 1 बैय कर सकता है यदि ऐसा करने के गैरसायल सं. 1 का कामयाब हो जाता है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही होगी इसलिए सायला गैरसायल सं. 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 254/255 की कुल 15.7700 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली मे प्रस्तत दस्तावेजों के मुताबिक प्रार्थीया द्वारा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 254/255 की कुल तादादी 15.7700 हैक्टर भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज 1/7 हिससे में सायला द्वारा 1.5180 हैक्टर भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है एवं वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज होने के कारण यदि गैरसायल स0 1 द्वारा उक्त भूमि को रहन, बैय किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायला हो होगी। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन [illegible] है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा [illegible] को होगी [illegible] को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु सायला द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त भूमि में से 1.5180 हैक्ट भूमि खरीद की गई है।। प्रार्थी का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul.

दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 254/255 की कुल 15.7700 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि में प्रार्थी के बैयनामा की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21/11/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:45:33 IST
Reason: SelfAttested